संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश

क्र.3/प.क./सेल–1/2017/ 45   **भोपाल, दिनांक** 19-01-2017

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषयः– जिला स्तर पर खण्ड विस्तार प्रशिक्षक के स्थानांतरण के संबंध में निर्देश।

///000///

मध्यप्रदेश राजपत्र 20 अक्टूबर 1989 में प्रकाशित भर्ती/पदोन्नति नियमानुसार खण्ड विस्तार प्रशिक्षक का पद राज्य स्तरीय संवर्ग का पद घोषित किया गया है। इसके तहत इस पद पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी के मुख्यालय परिवर्तन अथवा स्थानांतरण की कार्यवाही राज्य स्तर से ही की जाना है।

संचालनालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अनेक जिला कार्यालय द्वारा जिले में पदस्थ खण्ड विस्तार प्रशिक्षकों का मुख्यालय परिवर्तन अथवा स्थानांतरण करते है अथवा जिला मुख्यालय में संलग्न कर देते हैं, जो कि नियमानुसार नहीं हैं। इसके फलस्वरूप ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं तथा राज्य शासन की छबि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं।

अतः इस संबंध मे निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ विकासखण्ड मुख्यालय में पदस्थ/कार्यरत किसी भी खण्ड विस्तार प्रशिक्षक का मुख्यालय परिवर्तन/स्थानांतरण न किया जावें। सभी खण्ड विस्तार प्रशिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड स्तर पर ही सुनिश्चित रखा जावे। यदि किन्ही विशेष परिस्थिति में किसी खण्ड विस्तार प्रशिक्षक का मुख्यालय परिवर्तन अथवा जिले के किसी अन्य विकासखण्ड में स्थानांतरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो तो उसकी पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन संचालनालय से प्राप्त करने के उपरांत ही नियमानुसार कार्यवाही की जायें। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये,अन्यथा आप उत्तरदायी होंगे।

<u>आयुक्त, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र.3/प.क./सेल–1/2017/   **भोपाल, दिनांक**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रभारी, एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय।

संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश